AII

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक :– प.14/98/ रामले/ई–ग्रास/
जिला कलक्टर,
समस्त राजस्थान।

दिनांक :–

विषय :– ऑन लाइन राजस्व प्राप्तियां के अंकमिलान एवं रिफण्ड की प्रकिया।
प्रसंगः– वित्त(आर्थिक मामलात) विभाग का परिपत्र क्रमांक/ एफ.5(थ–75) कोष/ आईएफएमएस/ ई–ग्रास/20977–21226 दि0 7.3.18

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक परिपत्र की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि दि0 1.8.17 से मैनुअल राजस्व (पी0डी0 खातों में जमा राशि एवं माईनस एक्सपेण्डिचर के चालानों को छोडकर) प्राप्तियों को भी ई–मोड के माध्यम से ई–कोषालय जयपुर से सम्बद्ध किया गया है। परिपत्र के बिन्दु सं0 1 से 12 तक की अक्षरतः पालना सुनिश्चित करते हुए परिपत्र की प्रति अधीनस्थ समस्त उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदारों/ उपतहसीलदारों को प्रेषित करने का श्रम करावें।

संलग्न–उक्तानुसारा

भवदीय,

अति0निबन्धक(वित्त एवं लेखा)
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक/सम/ 3209
निांकः– 30.5.18

प्रतिलिपिः– मय परिपत्र, संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर अनुभाग को परिपत्र राजस्व मण्डल क वेबसाइट पर अपलोड काने हेतु प्रेषित हैं।

अति0निबन्धक(वित्त एवं लेखा)
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

राजस्थान सरकार
वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग

क्रमांकः एफ.5(थ–75)कोष/IFMS/e-GRAS/20977–21226 दिनांक 07/3/2018

परिपत्र

विषयः– ऑनलाइन राजस्व प्राप्तियों के अंक मिलान एवं रिफण्ड की प्रक्रिया।

वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र संख्या एफ. 5(थ–75)डीटीए/आई.एफ.एम.एस. दिनांक 01.11.2012 के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियाँ ई–ग्रास सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन ई–चालान से प्राप्त हो रही है तथा परिपत्र संख्या एफ.5 (थ–75)डीटीए/आई.एफ.एम.एस./341–940 दिनांक 17.04.2017 एवं 18.07.2017 के द्वारा मैनुअल राजस्व (पी.डी. खातों में जमा राशि एवं माइनस एक्सपेन्डिचर के चालानों को छोड़कर) प्राप्तियों को भी ई–मोड़ के माध्यम से दिनांक 01.08.2017 से ई–कोषालय से सम्बद्ध किया गया है एवं परिपत्र संख्या एफ. 5(थ–75)डीटीए/आई.एफ.एम.एस./ई–ग्रास/17907–18156 दिनांक 10.09.2013 के द्वारा ई–ग्रास के माध्यम से जमा हुए ऑनलाइन राजस्व के रिफण्ड के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किए गये हैं।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम खण्ड–I के भाग–I के नियम 11(3), 28(4), 59 एवं बजट मैनुअल खण्ड–I के अध्याय 8 के नियम 9, अध्याय 26 में दी गई व्यवस्थाओं के अन्तर्गत संबंधित कार्यालयाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों/बजट नियंत्रण अधिकारियों को राजस्व प्राप्ति के अंक मिलान हेतु उत्तरदायी बनाया गया है। अतः ई–ग्रास के अन्तर्गत ऑनलाइन/मैनुअल ई–चालान के माध्यम से जमा राजस्व के अंक मिलान एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में निर्धारित रिफण्ड प्रक्रिया के संबंध में निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किए जाते है :–

1. दिनांक 01.08.2017 के बाद से ऑनलाइन ई–भुगतान/मैनुअल भुगतान से प्राप्त राजस्व (पी.डी. खातों व माइनस एक्सपेण्डिचर के चालानों को छोड़कर) की रिपोर्ट https://egras.raj.nic.inपर संबंधित विभाग/कार्यालय के लॉगिन में ई–कोषालय की टी.वाई.–33 के साथ उपलब्ध है। दिनांक 01.08.2017 से पूर्व के ई–राजस्व की सूचना https://egras.raj.nic.inपर कार्यालयवार एवं मेन्यूअल राजस्व की सूचना https://rajkosh.raj.nic.in पर कोषालय Login में Guest user व Guest password के साथ तथा विभागीय लॉगिन में भी उपलब्ध है।

2. ऑनलाइन राजस्व का अंक मिलान संबंधित विभाग/कार्यालय के लॉगिन में उपलब्ध ई–कोषालय के टी.वाई.–33 में अंकित चालान नम्बर/जीआरएन के अनुसार तथा मेन्यूअल राजस्व का अंक मिलान बिन्दु संख्या 1 के अनुसार सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 11(3) के अनुसार दैनिक आधार पर तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 59 के अनुसार माह के अन्त में कोषालय/ ई–कोषालय द्वारा लेखा महालेखाकार कार्यालय को प्रस्तुत करने के उपरान्त सिस्टम पर उपलब्ध ई–कोषालय/कोषालय की टी.वाई.–33 से किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. ऑनलाइन अंक मिलान के दौरान यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 28(4) एवं बजट मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 9 एवं अध्याय 26 के नियम 26.7 में दी गई व्यवस्था के अनुसार ऑनलाइन अंक मिलान मीमों (जी.ए.–10) में सूचना ई–कोषालय/कोषालय को ऑनलाइन अंक मिलान मॉड्यूल से अग्रेषित की जावेगी। जी.ए.–10 की हस्ताक्षरित भौतिक प्रति मय ऑनलाइन चालान की प्रमाणित प्रति के साथ ई–कोषालय/कोषालय को प्रेषित की जावेगी। जिसे चरणबद्ध रूप से ई–साईन/डिजिटल हस्ताक्षर से सम्बद्ध किया जायेगा।

4. संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी से प्राप्त जी.ए. 10 को लेखों में शुद्वि हेतु प्रकरण ई–कोषालय/कोषालय के माध्यम से टी.वाई.–65 में महालेखाकार कार्यालय को भौतिक रूप से प्रेषित किया जावेगा। महालेखाकार कार्यालय द्वारा जी.ए.–10 के आधार पर स्वीकृत स्थानान्तरण प्रविष्टि के अनुसार स्थानान्तरण प्रविष्टि का प्रभाव अधिकृत रूप से उपलब्ध करवाये जाने पर ई–कोषालय/कोषालय द्वारा संबंधित बजट मद में सिस्टम पर परिलक्षित किया जावेगा तथा इस उद्देश्य का संशोधन भौतिक रिकॉर्ड में हस्ताक्षरित कर दर्ज किया जायेगा। जिसकी एक प्रति सम्बद्ध कार्यालय/विभाग को दी जायेगी। जिसे आगामी चरण में महालेखाकार कार्यालय के सिस्टम से सम्बद्ध कर ऑटोमेटेड किया जावेगा।

5. जिन विभागों की राजस्व प्राप्ति हेतु स्वंय की एप्लीकेशन (सिस्टम) विकसित कर उसका ई–ग्रास से इन्टीग्रेशन किया गया है, उन विभागों द्वारा उनके सिस्टम पर प्राप्त राजस्व प्राप्तियों का अंक मिलान, ई–ग्रास, राजकोष पर उपलब्ध ई–कोषालय/कोषालयों की टी.वाई.–33 से किया जाना आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जावें। इस प्रक्रिया में भुगतान स्टेट्स के डेटा व दैनिक लेखा के डेटा में भी मिलान सुनिश्चित किया जाये जिससे बैंक द्वारा त्रुटिवश Skip किए गए संव्यवहारों का समाधान करवाया जा सके।

6. अन्य विभागों द्वारा ई–ग्रास/राजकोष सिस्टम पर उनके विभाग को प्रदान की गई लॉगिन आई.डी. से रिपोर्ट जनरेट कर प्राप्त राजस्व का अंक, मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जावें तथा भिन्नता होने पर सम्बद्ध प्राधिकारी को अवगत करवाया जायेगा।

7. जमाकर्त्ता द्वारा ई–ग्रास एप्लीकेशन का उपयोग कर जमा करवाये गये राजस्व के चालान का सत्यापन विभाग द्वारा ई–ग्रास एप्लीकेशन पर ई–कोषालय की टी.वाई.–33 व राजकोष पर उपलब्ध कोषालयों की टी.वाई.–33 से विभाग के लॉगिन में जीआरएन से मिलान कर किया जावें तथा विभाग द्वारा संबंधित रेमीटर को सेवाऐं उपलब्ध कराने के साथ ही संबंधित जी.आर.एन. को डिफेस किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा; ताकि जिस जी.आर.एन./चालान नम्बर पर सेवाऐं विभाग द्वारा दी जा चुकी है उस पर दुबारा सेवाऐं/रिफण्ड न हो सके। इस संबंध में सभी राजस्व विभागों द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों को उत्तरदायी बनाया जाये।

8. निर्माण विभागों के अन्तर्गत आने वाले सभी निर्माण खण्डों द्वारा निर्माण कार्यों से संबंधित राजस्व जमा कराने हेतु वॉम ई–ग्रास इटीग्रेशन के माध्यम से ही चालान जनरेट किये जाकर जमा कराये गये चालानों का मिलान वॉम मॉड्यूल पर उनके लॉगिन में उपलब्ध चालान फैच किये जाने की सुविधा के माध्यम से नियमित रूप से/कोषालयों द्वारा मासिक लेखा महालेखाकार कार्यालय को प्रस्तुत किए जाने से पूर्व सुनिश्चित किया जाये।

9. ऑनलाइन जमा हुए राजस्व के रिफण्ड हेतु जारी सक्षम स्वीकृति के आधार पर संबंधित कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी द्वारा वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग की परिपत्र संख्या एफ.5(थ–75)डीटीए/आई.एफ.एम. एस./ई–ग्रास/17907–18156 दिनांक 10.09.2013 के अनुसार राजस्व प्रदाय के ऑनलाइन बिल वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 27.10.2016 में विहित प्रक्रिया अनुसार पारित किये जायेगें। राशि रिफण्ड से पूर्व कोषाधिकारी/ई–कोषाधिकारी द्वारा ई–ग्रास साईट से रिफण्ड बिल के साथ संलग्न चालान पर अंकित जीआरएन के आधार पर राशि राजकोष में जमा होने की पुष्टि/संतुष्टि की जाकर डिफेस विकल्प के माध्यम से डिफेस की जाने वाली राशि को डिफेस किया जायेगा, ताकि उक्त राशि के पुनः रिफण्ड की संभावना न हो।

10. मैनुअल भुगतान के ई–ग्रास से जनरेटेड चालान के साथ राजस्व जो दिनांक 01.08.2017 से पूर्व राजकोष में जमा कराया गया है, का मिलान/सत्यापन संबंधित कोषालय से दिनांक 30.04.2018 तक किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इसकी सूचना https://rajkosh.raj.nic.in पर उपलब्ध Guest Login पासवर्ड में कोषालयवार टी.वाई.–33 के साथ भी जाँच की जा सकती है।

11. यदि जमाकर्त्ता द्वारा राजस्व जमा करने हेतु ई–ग्रास सिस्टम के उपयोग में कार्यालय गलत चयन कर लिया जाता है परन्तु बजट मद का वर्गीकरण व अन्य सभी अंकित सूचनाऐं सही पायी जाती है तो बजट मद से सम्बद्ध विभागाध्यक्षों/बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा विभागीय नियमों के अन्तर्गत दी गयी सक्षमता में प्रकरणों का निस्तारण स्वंय के स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा।

12. सभी बजट नियन्त्रण अधिकारी व विभागाध्यक्ष अधीनस्थ कार्यालयों से उक्त बिन्दु अनुसार राजस्व अंक मिलान की प्रक्रिया में पूर्ण शुद्धता सुनिश्चित करेगें। यदि जमाकर्त्ता द्वारा या अंक मिलान में सम्बद्ध बैंको से विलम्ब से जमा करवाये गए संव्यवहारों/स्किप किए गए संव्यवहार परिलक्षित किए जाते है तो अविलम्ब सूचना निदेशालय कोष एवं लेखा तथा ई–कोषालय को दी जायेगी।

अतः उक्त बिन्दुओं की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाये। इस प्रक्रिया के तकनीकी व अन्य सम्बद्ध प्रकरणों हेतु निम्न नम्बर/ई–मेल पर सम्पर्क किया जा सकता है :–

(1) एन.आई.सी. हेल्प डेस्क – 0141–5111007
ई–मेल आई.डी. – paymanager.rj@gmail.com

(3) लेखाधिकारी (आई.एफ.एम.एस.) – 0141– 2744402
ई–मेल आई.डी. – ao-ifms-rj@nic.in

(4) ई–कोषाधिकारी, ई–कोषालय – 0141– 2744294
ई–मेल आई.डी. –e-to-rj@nic.in

(मंजू राजपाल)
शासन सचिव, वित्त (बजट)